बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

अरण्य भवन, चतुर्थ तल, शहीद पीर अली खाँ मार्ग शेखपुरा, पटना–800014

दिनांक–24.10.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – यथापंजी।

1. अनुज्ञप्ति अप्राप्त आरा मिलों की सूची का गठनः–

विभागीय संकल्प सं0 3240 दिनांक–29.08.2023 की कंडिका 1(4) के तहत अनुज्ञप्ति अप्राप्त आरा मिलों की वरीयता सूची संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा तैयार की गई प्रमंडलवार सूची को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सूचिबद्ध कर राज्यस्तरीय सूची प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

अचयनित आरा मिलों की वरीयता सूची बनाने के संदर्भ में बिहार के विभिन्न प्रमंडलों के साथ बैठक की गयी। बैठक में पाया गया कि अचयनित आरा मिलों के संदर्भ में जिलों से प्राप्त सूची का गठन भिन्न भिन्न साक्ष्य के आधार पर प्रपत्र–04 में अंकित करते हुए राज्य स्तरीय समिति को प्राप्त हुई थी। जिसे समेकित कर औपबंधिक सूची का प्रकाशन किया गया था। जिसका उद्धेश्य था कि जिलों में जितने प्रकार के आवेदन है, उनकी एक सूची तैयार कर ली जाए। जिसके आधार पर स्थिति का आकलन किया जा सके कि ऐसे कुल मामले कितने है एवं इस सूची में यदि कोई त्रुटि हो जैसे नाम, पता, आवेदन की तिथि आदि तो उसमें सुधार किया जा सके। इस सूची पर 202 आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। प्राप्त आपत्तियों की संचिकाएं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को हस्तगत कराते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और इन आपत्तियों का निराकरण करने का भी निर्देश दिया गया, चूंकि ये सूचनाएं 23 से 32 साल पुराने अभिलेखों के आधार पर बनाई जानी है।

बैठक में बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची अलग–अलग प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर बनाई गयी है एवं सूची में एकरूकता का अभाव है। जिस कारण गठित औपबंधिक वरीयता सूची पर अंतिम निर्णय लेने में राज्यस्तरीय समिति को कठिनाई हो रही है।

(1) बैठक में बताया गया कि विशेष दूत द्वारा प्राप्त औपबंधिक वरीयता सूची पर आपत्तिकर्ताओं के लिखित अभ्यावेदनों को संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के पत्र सं0–782, दिनांक–11.08.2025 एवं बिहार सरकार का पत्रांक सं0–5229, दिनांक–22.09.2025 के आलोक में गठित प्रपत्र को संलग्न कर सूचनाएं दिनांक 12.11.2025 तक निश्चित रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

9708
14.11.25

(3) वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्ति अप्राप्त आरा मिलों के आवेदनों की सूची संचिकाओं से मिलान करते हुए साक्ष्यों की समीक्षा के उपरान्त साक्ष्यों के साथ वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से समिति को उपलब्ध करायें।

2. वर्षाकालीन वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति :–

वन प्रमंडल पदाधिकारियों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 05 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरूद्ध 2.96 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ है एवं बसंतकालीन वृक्षारोपण में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जीविका दीदियों एवं मनरेगा द्वारा भी अपना लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सका, जिसपर सूचित किया गया कि उपलब्ध कराये गये आँकड़े अभी अद्यतन नही है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि जीविका दीदियों/चलंत काउन्टर/अस्थायी पौधा बिक्री केन्द्र व कैम्पा इत्यादि योजना मद में योजनाओं की स्वीकृति अद्यतन नहीं होने के कारण पौधा रोपण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर द्वारा बताया गया कि जीविका दीदियों/चलंत काउन्टर/अस्थायी पौधा बिक्री केन्द्र इत्यादि योजनाएँ स्वीकृत नहीं हुई है। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा जीविका दीदियों/चलंत काउन्टर/अस्थायी पौधा बिक्री केन्द्र इत्यादि की योजनाएँ स्वीकृत नहीं होने की सूचना देते हुए स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार पटना द्वारा सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वैसी सभी प्रस्तावित योजनाएं जो अद्यतन स्वीकृत नहीं हो सकी है परन्तु उसका कार्यान्वयन क्षेत्रों में कराया जा चूका है, उसकी समीक्षा करते हुए तत्काल स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया जाए ताकि विभाग से अनुरोध किया जा सके।

3. अद्यतन व्यय प्रतिवेदन :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजना मद के विभिन्न शीर्षो में इस कार्यालय द्वारा वन प्रमंडलों को निर्गत आवंटन के विरूद्ध गुगल सीट में व्यय के आँकड़ों की प्रवृष्टि अपडेट नहीं की जा रही है। जिससे व्यय की समीक्षा करने में कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में सभी वन प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि आवंटन के विरूद्ध यथा शीध्र स्वीकृत कार्यो को क्रियान्वित कराते हुए शतप्रतिशत व्यय का लक्ष्य प्राप्त की जाए तथा व्यय की आँकड़ों को गुगल सीट में भी अद्यतन प्रवृष्टि की जाए।

ईको टूरिज्म– ईको टूरिज्म अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो हेतु पर्याप्त राशि आवंटित नहीं रहने के कारण संबंधित वन प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि स्वीकृत कार्यो में से पुरे कम्पोनेन्टस को पर कार्य में से वैसे कार्यो को ही प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाए जिसको प्राप्त आवंटन के अधीन पूर्ण किया जा सके– उदाहरण स्वरूप हरित आवरण पर कार्य एवं अन्य प्राथमिकताओं पर उपलब्ध राशि से कार्य पूर्ण कराया जाए। इस प्रकार स्वीकृत कार्यो हेतु

तत्काल सृजित देहताओं पर तत्काल राशि की आवश्यकता का आकलन दिनांक– 07.11.2025 तक निश्चित रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार पटना के कार्यालय द्वारा भेजे गये प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

वन प्रमंडलों द्वारा बताया गया कि CM प्रगति यात्रा की योजनाओं में सभी वन प्रमंडल में दिये गये आवंटन लगभग खर्च कर लिए गये हैं। इस संदर्भ में भी वन प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि इससे संबंधित अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने हेतु राशि का आकलन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मांग पत्र प्रेषित किया जाए।

4. बसंतकालीन वनरोपण/स्थायी व उद्यान पौधशालाओं की योजनाएं तथा वन क्षेत्रों में अग्रिम कार्य की योजनाओं का प्रेषणः–

बसंतकालीन वनरोपण/स्थायी व उद्यान पौधशालाओं की योजनाएं तथा वन क्षेत्रों में अग्रिम कार्य की योजना प्रस्ताव दिनांक–15.11.2025 तक निश्चित रूप से सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने क्षेत्राधीन वन प्रमंडलों से प्राप्त कर समेकित करते हुए उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी पॉप्लर/अन्य प्रजाति योजनांर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लाभुकों को भुगतान् की राशि, मुख्यमंत्री अन्यप्रजाति पौधशाला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के किसानों को तृतीय किस्त तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के किसानों का प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान, पॉप्लर पौधशाला के किसानों को वित्तीय वर्ष 2024–25 का प्रथम एवं द्वितीय का भुगतान हेतु राशि की मांग अविलंब भेजी जाए।

अन्यान्य

भोजपुर वन प्रमंडल व अन्य वन प्रमंडलों द्वारा उनके वन प्रमंडलों में योजना की मुख्य शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आवंटन में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। जिसपर वन प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि इस तरह के संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। प्रस्ताव प्राप्त होने पर तद्नुसार आवंटन में यथापेक्षित सुधार कर दिया जाएगा।

बैठक की कार्यवाही धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

ह0/- 30/10/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक– 912 दिनांक– 30/10/2025

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर एवं निदेशक, पारिस्थितिकी एव पर्यावरण/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 30/10/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–912 दिनांक–30/10/2025

प्रतिलिपिः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)– सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि/मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विभाग/मुख्य वन संरक्षक–सह–निदेशक, हरियाली मिशन/मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0)/मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन/मुख्य वन संरक्षक–सह–वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 912 दिनांक– 30/10/2025

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–912 दिनांक–30/10/2025

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

30/10/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–912 दिनांक–30/10/2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।